**न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, डोईवाला, जिला देहरादून।**
**जमानत प्रार्थना पत्र सं0–75/2022**
**राज्य बनाम मनोज चौहान।**

**मु0अ0सं0–277/2022**
**अं0धारा–4/25 आर्म्स एक्ट।**
**थाना–डोईवाला, जिला देहरादून।**

<u>दिनांक–15–10–2022</u>

## <u>निस्तारण प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र</u>

प्रार्थी/अभियुक्त मनोज चौहान की ओर से उसकी विद्वान अधिवक्ता सुश्री मोनिका पटेल द्वारा अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र, अन्तर्गत धारा 4/25 आर्म्स एक्ट, थाना डोईवाला, जिला देहरादून के अपराध में प्रस्तुत किया गया है। वर्तमान में अभियुक्त मनोज चौहान, मु0अ0सं0 277/2022, अन्तर्गत धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के अपराध में जिला कारागार, देहरादून में निरूद्ध है।

प्रार्थी/अभियुक्त की विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि थाना डोईवाला की पुलिस द्वारा उपरोक्त अपराध में अभियुक्त को झूठा गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त निर्दोष है। अभियुक्त से किसी भी प्रकार की चाकू की कोई बरामदगी नहीं हुई है और न ही पुलिस द्वारा दर्शायी बरामदगी का कोई स्वतन्त्र साक्षी है। थाना डोईवाला की पुलिस द्वारा कारगुजारी दिखाने के लिये उपरोक्त अपराध में अभियुक्त को झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त दौराने वाद जमानत पर रिहा होना चाहता है। अभियुक्त पूर्व सजयाफ्ता नहीं है और न ही उसका कोई आपराधिक इतिहास है। अभियुक्त दिनांक 21.08.2022 से जिला कारागार, देहरादून में निरूद्ध है। अतः याचना की गयी है कि अभियुक्त को दौराने वाद जमानत पर रिहा किया जाये।

इस सम्बन्ध में थाना डोईवाला से आख्या तलब की गयी है। थाना डोईवाला की आख्या में, अन्य कथनों के साथ कथन किया गया है कि,***''दिनांक 20.08.2022 को अभियुक्त मनोज चौहान पुत्र विजेन्द्र सिंह चौहान निवासी जोगियाणा अठूरवाला भानियावाला उम्र 36 वर्ष को वादी उ0नि0 उत्तम रमोला मय हमराह पुलिस कर्मगण के भूमिया मन्दिर तिराहे जौलीग्रान्ट से एक नाजायज चाकू के साथ मौके पर गिरफ्तार किया गया। अभि0 के पास बरामदा नाजायज चाकू होने पर थाना हाजा पर मु0अ0सं0 277/22 अन्तर्गत धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। महोदय मनोज चौहान को दिनांक 20/8/22 को मौके से पुलिस टीम द्वारा नाजायज चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त की जमानत होने पर वह अपराध की पुनरावृत्ति कर सका है। अतएव जमानत आख्या का विरोध किया जाता है। रिपोर्ट सादर सेवा में प्रेषित है।''*** रिपोर्ट विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी सुश्री हरजीत कौर द्वारा अग्रसारित की गयी है।

**जमानत प्रार्थना पत्र पर अभियुक्त की विद्वान अधिवक्ता सुश्री मोनिका पटेल एवं विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी सुश्री हरजीत कौर को सुना गया एवं प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।**

प्रपत्रों के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्त के विरूद्ध धारा 4/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग है। अभियुक्त दिनांक 21.08.2022 से जिला कारागार, देहरादून में निरूद्ध है। अभियुक्त के ऊपर लगाया गया

आरोप मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। अतः सभी तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त की जमानत के पर्याप्त आधार है।

**आदेश**

अभियुक्त मनोज चौहान का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अभियुक्त को धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत मु0 25,000/—रूपये (पच्चीस हजार रूपये) के व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान राशि के दो सक्षम प्रतिभू न्यायालय के समक्ष पेश करने पर दौराने मुकदमा जमानत पर रिहा किया जाता है।

दिनांक—15—10—2022

(मीनाक्षी दुबे)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
डोईवाला।